

## राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

### आज्ञा


क्रमांक:-स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 642 / 2024 दिनांक 22.02.2024

श्री संजय कुमार मालवीया (RJ00849), प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, उदयपुर को निम्नलिखित अवकाश स्वीकृत किये जाते हैं:-

1. दिनांक 26.02.2024 का एक दिवस का उपार्जित अवकाश दिनांक 24.02.2024 से 25.02.2024 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित।
2. दिनांक 01.03.2024 से 04.03.2024 तक 04 दिनों का उपार्जित अवकाश।
3. दिनांक 11.03.2024 से 13.03.2024 तक 03 दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक 10.03.2024 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित।

श्री मालवीया की अनुपस्थिति में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उदयपुर इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, उदयपुर के पद पर ही होने की संभावना है।


आज्ञा से  
  
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक:-स्था.बी.2(4)/19/2015/1513

दिनांक 22.02.2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, उदयपुर को उनके पत्रांक 657/661/664 दिनांक 31.01.2024 के सन्दर्भ में।
3. श्री संजय कुमार मालवीया (RJ00849), प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, उदयपुर।
4. प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, उदयपुर।
5. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उदयपुर।

  
सहायक रजिस्ट्रार